

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या  
144/14

दायरा दिनांक  
26.05.2014

निर्णय दिनांक  
23.08.2018

1 रामवतार पुत्र भूरिया जाति चमार निवासी श्रीकृष्ण नगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज.  
वादी

बनाम

24 लीलाराम

25 महेन्द्र पुत्र बुधा जातियान चमार निवासी श्रीकृष्ण नगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

26 नानगी देवी पत्नी बुधा जाति चमार निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर -हजफ

27 ग्यारसी देवी पुत्री बुधा पत्नी सोहनलाल

28 उर्मिला देवी पुत्री बुधा पत्नी मुंशीराम जातियान चमार निवासीयान लुहादेरा तह0तिजारा

29 सोमोती पुत्री बुधा पत्नी पप्पू उर्फ पूर्ण जाति चमार निवासी फीदेडी तह0 जिला रेवाडी(हरि0)

30 मुर्ति देवी पुत्री बुधा पत्नी गोविन्द

31 सुशीला पुत्री बुधा पत्नी बबली जातियान चमार निवासी फीदेडी तह0 जिला रेवाडी(हरि0)

32 भूतेरी पुत्री बुधा पत्नी जयसिंह

33 बीरा पुत्री बुधा पत्नी शेरसिंह जातियान चमार निवासी बावनहेडी तह0 तिजारा, अलवर

34 नीलम पुत्री बुधा पत्नी नरेश कुमार जाति चमार निवासी सक्तपुरा तह0 मुण्डावर

35 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर

प्रतिवादीगण

36 हजारी लाल

37 जसवन्त पुत्रान भूरिया

38 कमला

39 लाली पुत्रीयान भूरिया जाति चमारान निवासी श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर

40 मेवा बेवा बहादुर पुत्रवधु भूरिया

41 भूपेन्द्र पुत्र

42 थपकी

43 सरला

44 मनीष

45 काली

46 धोली पुत्रीयान बहादुर पौत्रीयान भूरिया जाति चमार निवासी श्रीकृष्णनगर तह0 मुण्डावर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा -ईशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

वादी की ओर से श्री मदनलाल सावरिया एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.08.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर  
 राजस्व वाद संख्या:-144/14  
 रामावतार बनाम लीलाराम  
 निर्णय दिनांक 23.08.2018

हाल आराजी खसरा नं0 1144 रकबा 1.52 हैक0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान मे से 5 बीघा यानी 1.25 हैक0 की हद तक हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के नाम/इनके पूर्वज बुधा पुत्र कालिया के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी खसरा नं0 1144 रकबा 1.52 हैक0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर मे से रकबा 1.25 हैक0 के बाबत का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.08.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (साधुराम जाट) 23/8/18  
 उपखण्ड अधिकारी एवं गरी  
 पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर ज०